

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जून 2026 — आषाढ़ 4, शक 1948

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/202/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन 1956) की धारा 132 की उप-धारा(6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन 1961) की धारा 127 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

संशोधन

नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम तथा अनुसूची अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"18. व्यापार अनुज्ञप्ति का लागू न होना.- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र.23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र.37 सन् 1961) अथवा उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप-विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यापार अथवा व्यावसायिक गतिविधि के संचालन हेतु किसी व्यक्ति को व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा उसका नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, ऐसे व्यक्ति के पास निम्नलिखित अधिनियमों अथवा प्राधिकरणों के अधीन वैध अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन उपलब्ध होना चाहिए:-

- 1 छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018)
- 2 कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63)
- 3 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का सं. 37)
- 4 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23)

- 5 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अधिसूचित अधिसूचना क्रमांक F.No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1), दिनांक 27.03.2026, तथा समय-समय पर अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा यथा अधिसूचित टर्नओवर सीमा एवं वर्गीकरण के अंतर्गत अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन:

परंतु यह और कि, यह छूट केवल अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यापार अथवा व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू होगी तथा विभाग को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में अन्य श्रेणियों अथवा व्यवसायों को जोड़ने, विलोपित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार होगा।

19. **पंजीयन शुल्क का भुगतान.**- इस छूट का लाभ प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट होते हुए भी, इन नियमों के नियम 5 में विहित अनुसार संबंधित नगरपालिका को, लागू पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

अनुसूची

स.क्र.	व्यापार /व्यवसाय गतिविधि	विधिमान्य अनुज्ञप्तिरखना
(1)	(2)	(3)
1.	खुदरा दुकानें / थोक दुकानें	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
2.	किराना / राशन दुकानें	दुकान एवं स्थापना पंजीयन / एफएसएसआई पंजीयन
3.	फल एवं सब्जी दुकानें	दुकान एवं स्थापना पंजीयन / एफएसएसआई पंजीयन
4.	डेयरी उत्पाद दुकानें	दुकान एवं स्थापना पंजीयन / एफएसएसआई अनुज्ञप्ति
5.	खाद्य व्यवसाय — बेकरी	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
6.	खाद्य व्यवसाय — मिठाई दुकानें / कन्फेक्शनरी	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
7.	खाद्य व्यवसाय — रेस्टोरेंट	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
8.	खाद्य व्यवसाय — भोजनालय	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
9.	खाद्य व्यवसाय — कैटरिंग प्रतिष्ठान	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
10.	खाद्य व्यवसाय — टिफिन हाउस / क्लाउड किचन	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
11.	बूचडखाना- मांसविक्रेता / दुकानें	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
12.	मछली विक्रेता- मछली / सूखी मछली / समुद्री खाद्य दुकानें	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
13.	मुर्गीपालन- अंडा / पोल्ट्री विक्रेता / दुकानें	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006)
14.	पैकेज्ड फूड / प्रसंस्कृत खाद्य दुकानें	एफएसएसआई पंजीयन / अनुज्ञप्ति
15.	पेयजल / पैकेज्ड जल इकाइयाँ	एफएसएसआई अनुज्ञप्ति
16.	स्ट्रीटफूड विक्रेता	एफएसएसआई पंजीयन
17.	आवासीय होटल	दुकान एवं स्थापना पंजीयन / एफएसएसआई अनुज्ञप्ति
18.	होटल / लॉज / अतिथि गृह	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
19.	सिनेमाहॉल / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
20.	सार्वजनिक मनोरंजन स्थल	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
21.	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / कार्यालय	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
22.	आईटी / सॉफ्टवेयर / बीपीओ प्रतिष्ठान	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
23.	बेयरहाउस/ गोदाम / भंडारण परिसर	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
24.	कूरियर / लॉजिस्टिक्स / डिलीवरी कार्यालय	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
25.	ई-कॉमर्स कार्यालय / फुलफिलमेंट सेंटर	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
26.	बैंक / वित्तीय संस्थान / बीमा कार्यालय	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
27.	ट्रैवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
28.	कोचिंग संस्थान / प्रशिक्षण केंद्र	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
29.	जिम / फिटनेस सेंटर	दुकान एवं स्थापना पंजीयन
30.	ब्यूटीपार्लर / सैलून / स्पा सेंटर	दुकान एवं स्थापना पंजीयन

31.	मेडिकलस्टोर / फार्मसी	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
32.	होम्योपैथिक औषधि दुकानें	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
33.	आयुर्वेदिक / यूनानी औषधि दुकानें	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
34.	चिकित्सा उपकरण / सर्जिकल उपकरण विक्रेता	औषधि अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाणपत्र
35.	औषधि थोक विक्रेता	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
36.	सर्जिकल सामग्री खुदरा दुकानें	पंजीयन प्रमाण पत्र (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
37.	सर्जिकल सामग्री थोक दुकानें	पंजीयन प्रमाण पत्र (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
38.	अस्पताल, जिनमें फार्मसी संचालित हो	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
39.	धर्मार्थ चिकित्सालय, जिनमें फार्मसी संचालित हो	औषधि अनुज्ञप्ति (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940)
40.	कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखाने	फैक्ट्री अनुज्ञप्ति (कारखाना अधिनियम, 1948)
41.	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशासंहिता, 2020 के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अंतर्गत पंजीयन / अनुज्ञप्ति
42.	फैक्ट्री पंजीयन आवश्यक विनिर्माण इकाइयाँ	फैक्ट्री अनुज्ञप्ति / पंजीयन
43.	औद्योगिक गोदाम / प्रसंस्करण इकाइयाँ	फैक्ट्री अनुज्ञप्ति / ओएसएचडब्ल्यूसी पंजीयन"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/202/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-6-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE-801/202/2025-UAD.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 132 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 127 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipality (Trade License) Rules, 2025, namely:-

AMENDMENT

After rule 17, the following rules and schedule shall be inserted, namely:-

“18. Non-applicability of Trade License.—Notwithstanding anything contained in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) or any rules or bye-laws made thereunder, no person shall be required to obtain or renew a trade licence for carrying on any trade or business activity within the limits of a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat area:

provided that such person must possess a valid licence or registration under any of the following Act or Authorities:—

- 1 The Chhattisgarh Shop and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018)
- 2 The Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)
- 3 The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020)
- 4 The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940)
- 5 Licence or registration as required under the turnover limits and classification notified by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) vide Notification No. F. No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part (1) dated 27.03.2026, and as may be notified from time to time by other regulatory authorities:

Provided further that, this exemption shall apply only to the trades or business activities specified in Schedule and the Department shall have the authority to add, delete, or amend other categories or businesses in the said Schedule from time to time by notification.

19. Payment of Registration Fee.- Every person availing the benefit of this waiver shall, notwithstanding the exemption from obtaining a trade license, be liable to pay the applicable registration fee to the respective municipality as may be prescribed by the rule 5 of these rules.

SCHEDULE

S. No.	Trade/Business Activity	Possess a valid License
(1)	(2)	(3)
1.	Retail Shops/Wholesale Shops	Shops & Establishments Registration
2.	Grocery/Kirana Shops	Shops & Establishments Registration/ FSSAI Registration
3.	Fruit & Vegetable Shops	Shops & Establishments Registration/ FSSAI Registration
4.	Dairy Product Shops	Shops & Establishments Registration/ FSSAI License
5.	Food Business— Bakeries	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
6.	Food Business — Sweet Shops/ Confectioneries	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
7.	Food Business — Restaurants	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
8.	Food Business—Eating Houses	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
9.	Food Business—Catering Establishments	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
10.	Food Business—Tiffin Houses/ Cloud Kitchens	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
11.	Butchery—Meat Sellers/Shops	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
12.	Fishmonger—Fish/Dry Fish/ Seafood Shops	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
13.	Poultry—Egg/Poultry Sellers/Shops	FSSAI License (Food Safety & Standards Act, 2006)
14.	Packaged Food/Processed Food Shops	FSSAI Registration/License
15.	Drinking Water/Packaged Water Units	FSSAI License

16.	StreetFoodVendors	FSSAI Registration
17.	ResidentialHotels	Shops & Establishments egistration/FSSAI License
18.	Hotels/Lodges/Guest Houses	Shops & Establishments Registration
19.	Cinema Halls/Multiplexes/ Auditoriums	Shops & Establishments Registration
20.	Public Amusement/Entertainment Places	Shops & Establishments Registration
21.	Commercial Establishments/Offices	Shops & Establishments Registration
22.	IT/Software/BPO Establishments	Shops & Establishments Registration
23.	Warehouses/Godowns/ Storage Premises	Shops & Establishments Registration
24.	Courier/Logistics/Delivery Offices	Shops & Establishments Registration
25.	E-Commerce Offices/Fulfilment Centres	Shops & Establishments Registration
26.	Banks/Financial Institutions/Insurance Offices	Shops & Establishments Registration
27.	Travel Agencies/Tour Operators	Shops & Establishments Registration
28.	Coaching Institutes/Training Centres	Shops & Establishments Registration
29.	Gymnasiums/Fitness Centres	Shops & Establishments Registration
30.	Beauty Parlours/Salons/Spa Centres	Shops & Establishments Registration
31.	Medical Stores/Pharmacies	Drug License (Drugs & CosmeticsAct,1940)
32.	Homoeopathic RetailShops	Drug License (Drugs & Cosmetics Act,1940)
33.	Ayurvedic/Unani Medicine Shops	Drug License (Drugs & Cosmetics Act,1940)
34.	Medical Device/Surgical Equipment Dealers	Drug License/Registration Certificate
35.	Medicine Wholesale Dealers	Drug License (Drugs & Cosmetics Act,1940)
36.	Surgical Goods Retail Shops	Registration Certificate (Drugs & Cosmetics Act, 1940)
37.	Surgical Goods Wholesale Shops	Registration Certificate (Drugs & Cosmetics Act, 1940)
38.	Hospitals operating Pharmacy	Drug License (Drugs & Cosmetics Act,1940)
39.	Charitable Dispensaries operating Pharmacy	Drug License (Drugs & Cosmetics Act,1940)
40.	Factories covered under Factories Act, 1948	Factory License(FactoriesAct,1948)
41.	Industrial Establishments covered under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code,2020	Registration/License under OSHWC Code, 2020
42.	Manufacturing Units requiring Factory Registration	Factory License/Registration
43.	Industrial Warehousing/Processing Units	Factory License/OSHWc Registration"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.